न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 106/2020 **दायर तारीख :–** 27-08-2020

1. शिम्भू पुत्र सगरा माली जाति सगरा निवासी कैरली तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

— वादी

बनाम

1. सोहन पुत्र सगरा (फौत)
   - 1/1. कौशल्या देवी पत्नि सोहन
   - 1/2. रणजीत
   - 1/3. ख्यालीराम — पुत्रान सोहन
   - 1/4. सुभाष
   - 1/5. कृष्णा
   - 1/6. ममता — पुत्रियान सोहन
   - 1/7. चावली
2. नन्छू — पुत्रान सगरा
3. पूरण
4. सुरजी पुत्री सगरा

   समस्त जाति माली निवासी कैरली तहसील विराटनगर जिला जयपुर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार विराटनगर कार्यालय तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
6. पटवारी , पटवार हल्का बजरंगपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर।

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राज एवं घोषणा खातेदारी

उपस्थित : श्री महेश कुमार जैन, अधिवक्ता वादी
श्री ओमप्रकाश सैनी, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक : 04.02.2021

1. वादी ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम कैरली के हाल खसरा नम्बर 1950/2 रकबा 0.12, 1957 रकबा 0.22, 1965 रकबा 0.06, 1967 रकबा 0.51, 1968/1 रकबा 0.08 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 1.24 हैक्टेयर की खातेदारी भूमि में वर्तमान में वादी के साथ–साथ प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 जो की वादी के भाई व बहिन है व मोहरी जो की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की माता है व अन्य खातेदारान के दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2073–2076 है। यह है कि हाल खसरा नंबर 1962/0.09, 1969/0.04 कुल किता 2 कुल रकबा 0.13 हैक्टेयर वाके ग्राम कैरली जिसकी

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

खातेदारी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 व उनकी माता मोहरी पत्नि सगरा व अन्य खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2073–2076 है। यह है कि वाद पत्र के जिम्मन संख्या 1 व 2 में वर्णित आराजी की खातेदार मोहरी जो कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की माता है कि मृत्यु दिनांक 25.05.2010 को हो गई है। तथा जिसक वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ही विधिक वारिसान है व अन्य कोई विधिक वारिसान नहीं हैं। यह यह है कि वाद पत्र के जिम्मन नंबर 1 व 2 में वर्णित आराजी पूर्व में रेवड, कजोड वगैरह के नाम रही है, लेकिन बाद में श्रीमान न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय शाहपुरा के समक्ष विचाराधीन रहे मुकदमा नंबर 180/2000 निर्णय दिनांक 24.05.2002 के आदेश की पालना में नामान्तकरण संख्या 134 द्वारा उक्त आराजी की खातेदारी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 व इनकी माता मृतक मोहरी देवी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की गई। तब से ही इनकी माता मोहरी देवी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 अपने हिस्सेनुसार अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज रहकर उसमें काश्त करते रहे है चूंकि अब दिनांक 25.05.2010 को खातेदार मोहरी देवी की मृत्यु हो गई है तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 मृतका मोहरी देवी के विधिक वारिसान है उक्त आराजी पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 काबिज रहकर आराजी की काश्त करते चले आ रहे है तथा आज भी काबिज काश्त है। यह है कि वाद पत्र के जिमन नंबर 1 व 2 में वर्णित आराजी की खातेदार मृतका मोहरी देवी जो कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की माता रही है का नाम वरवक्त खोले जाने नामान्तकरण संख्या 134 में मोहरी पत्नि सगरा की जगह मोहरी देवी पुत्री सगरा अंकित कर दिया गया, जिसकी जानकारी वादी को पूर्व में नहीं थी, जिस पर वादी ने प्रतिवादी संख्या 5 व 6 को अपनी माता का नाम मोहरी पुत्री सगरा की जगह मोहरी पत्नि सगरा करने व मृतका मोहरी की जगह विरासता के आधार पर स्वयं का व प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 4 के नाम नामान्तकरण खोलने का निवेदन किया जिस पर प्रतिवादी संख्या 4 व 5 ने वादी को इस बाबत इन्कार कर दिया तथा कहा कि राजस्व रिकॉर्ड में मृतका का नाम राजस्व न्यायालय के आदेश की पालना में जरिये नामान्तकरण खोला गया है, जिसमे दुरूस्त करने का अधिकार हमें नहीं है। यह है कि यदि राजस्व रिकॉर्ड में वादी की माता मृतका मोहरी पत्नि सगरा का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त नहीं किया जाता है तथा उनकी मृत्यु होने से उनके विधिक वारिसान को खातेदार घोषित नामान्तकरण नही खोला जाता है तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित नहीं किया जाता है तो वादी को अकथनीय हानि होने की पूर्ण संभावना है, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी धन राशि में संभव नहीं होगी। अतः निवेदन है कि वाद ग्रस्त आराजी की खातेदार मृतका मोहरी देवी पुत्री सगरा की जगह मोहरी देवी पत्नि सगरा दुरूस्त किया जावे तथा मोहरी पत्नि सगरा के फौत होने के कारण वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। तथा प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

संख्या 5 व 6 को आदेशित किया जावे कि इस बावत राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें।

2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 द्वारा इकबाले जवाब दावा पेश किया गया। पैरोकार सरकार उपस्थित।

3. वादी ने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमावन्दी ग्राम कैरली खाता संख्या 193 संवत् 2073–2076 **प्रदर्श–1**, नकल जमावन्दी ग्राम कैरली खाता संख्या 63 संवत् 2073–2076 **प्रदर्श–2**, नकल नामान्तकरण संख्या 134 ग्राम कैरली **प्रदर्श–3(पृष्ठ–7)**, फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र मोहरी देवी, फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र सोहन लाल सैनी आदि पेश किए है।

4. प्रकरण में वादी शिम्भू पुत्र सगरा द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया तथा बयान पंजीवद्व किए गए।

5. बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष एवं पैरोकार सरकार सुनी गई।

6. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वाके ग्राम कैरली के खाता संख्या 193 के हाल खसरा नम्बर 1950/2/ 0.12,1957/0.22, 1965/0.06, 1966/0.25, 1967/0.51, 1968/1/0.08 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 1.24 हैक्टेयर की खातेदारी भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड एवं ग्राम कैरली के खाता संख्या 63 में दर्ज खसरा नंबर 1962/0.09, 1969/0.04 हैक्टेयर की खातेदारी वादी एवं प्रतिवादीगण तथा अन्य खातेदारान के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमावंदी संवत् 2073–2076 है। यह है कि उक्त खसरा नंबर की खातेदारी में वादी एवं प्रतिवादीगण की माता मोहरी देवी के नाम के आगे पत्नि सगरा की जगह पुत्री सगरा लिखा हुआ है, जबकि वादी की तरफ से पेश मृत्यु प्रमाण पत्र मोहरी देवी के वारिसानामा में मोहरी देवी पत्नि सगरा सैनी अंकित किया हुआ है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मोहरी देवी, सगरा की पुत्री नहीं होकर पत्नि थी। वादी की तरफ से प्रस्तुत मोहरी देवी के मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार मोहरी देवी पत्नि सगरा सैनी की मृत्यु दिनांक 25.05.2010 हो सावित है, मोहरी देवी की मृत्यु के उपरान्त उनके नाम दर्ज खातेदारी भूमि का विरासत के आधार पर नामान्तकरण उनके वारिसान को दर्ज होना उचित प्रतीत होता है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर मोहरी देवी पुत्री सगरा की जगह मोहरी देवी पत्नि सगरा किया जाना व मोहरी देवी पत्नि सगरा के विरासत के नामान्तकरण की कार्यवाही उसके वारिसान के नाम किया जाना न्यायसंगत पाता हूं।

7. वादी ने अपने वादपत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः वादी का वादपत्र डिक्री किये जाने योग्य है।

आदेश

वादी का वादपत्र डिकी किया जाता है। वाके ग्राम कैरली के हाल खसरा नम्बर 1950/2 रकबा 0.12, 1957 रकबा 0.22, 1965 रकबा 0.06, 1967 रकबा 0.51, 1968/1 रकबा 0.08 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 1962/0.09,

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

1969/0.04 हैक्टेयर की खातेदारी में मोहरी पुत्री सगरा की जगह मोहरी पत्नि सगरा किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि मोहरी देवी पत्नि सगरा के नाम दर्ज खातेदारी भूमि में उनके वारिसान के नाम नामान्तकरण की कार्यवाही करें एवं राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 04.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी मुकाम विराटनगर

बइजलास :– राजवीर सिंह यादव, आर.ए.एस.

1. शिम्भू पुत्र सगरा माली जाति सगरा निवासी कैरली तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

— वादी

बनाम

1. सोहन पुत्र सगरा (फ़ौत)
   - 1/1. कौशल्या देवी पत्नि सोहन
   - 1/2. रणजीत
   - 1/3. ख्यालीराम — पुत्रान सोहन
   - 1/4. सुभाष
   - 1/5. कृष्णा
   - 1/6. ममता — पुत्रियान सोहन
   - 1/7. चावली

   समस्त जाति माली निवासी कैरली तहसील विराटनगर जिला जयपुर
2. नन्छू — पुत्रान सगरा
3. पूरण
4. सुंरजी पुत्री सगरा
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार विराटनगर कार्यालय तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
6. पटवारी , पटवार हल्का बजरंगपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर।

— प्रतिवादीगण

मुकद्मा नम्बर/नजरसानी संख्या 106/2020 **दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राज एवं घोषणा खातेदारी** यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रूबरू **श्री महेश कुमार जैन, अधिवक्ता वादी** व हाजरी .....मिन जानिब मुद्दई रूबरू **श्री ओमप्रकाश सैनी, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4** कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश होकर निवेदन किया है कि वाद ग्रस्त आराजी की खातेदार मृतका मोहरी देवी पुत्री सगरा की जगह मोहरी देवी पत्नि सगरा दुरूस्त किया जावे तथा मोहरी पत्नि सगरा के फौत होने के कारण वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। तथा प्रतिवादी संख्या 5 व 6 को आदेशित किया जावे कि इस बाबत राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें।

सुना गया। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष व पैरोकार सरकार सुनी गई। प्रकरण में पेश दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया।

अतः हुक्म दिया जाता है कि वादी का वादपत्र डिक्री किया जाता है। वाके ग्राम कैरली के हाल खसरा नम्बर 1950/2 रकबा 0.12, 1957 रकबा 0.22, 1965 रकबा 0.06, 1967 रकबा 0.51, 1968/1 रकबा 0.08 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 1962/0.09, 1969/0.04 हैक्टेयर की खातेदारी में मोहरी पुत्री सगरा की जगह मोहरी पत्नि सगरा किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

दिये जाते हैं कि मोहरी देवी पत्नि सगरा के नाम दर्ज खातेदारी भूमि में उनके वारिसान के नाम नामान्तकरण की कार्यवाही करें एवं राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 04.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)
विराटनगर

मुबलिक .....शून्य..... बाबत .....शून्य..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरत .....शून्य..... की सदी सलाना आज की तारीख बसूलयाबी तक .....शून्य..... का अदा करें। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 04.02.2021** को जारी की गई।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया। फीस दर्ज करना चाहिए।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर